भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4880

23 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

जम्मू और कश्मीर को आपूर्ति

4880. श्री हसनैन मसूदी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर को मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वार्षिक आपूर्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा आपूर्तियों के ढुलाई से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): जम्मू और कश्मीर सरकार ने फरवरी 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 कार्यान्वित किया है। एनएफएसए के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 477576.59 टन खाद्यान्नों का वार्षिक आवंटन किया जाता है, जिसमें 141123.88 टन गेहूं और 336452.71 टन चावल शामिल है। इसके अलावा, एनएफएसए के प्रभावी होने से पूर्व तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के औसत वार्षिक उठान को संरक्षित करने हेतु जम्मू और कश्मीर राज्य को 80820.58 टन गेहूं और 192683.90 टन चावल का वार्षिक टाइड ओवर आवंटन भी किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग): बर्फबारी/वर्षा, भूस्खलन, विभिन्न संगठनों द्वारा की गई बंद की घोषणा तथा कर्फ्यू लगाए जाने आदि के कारण कश्मीर घाटी के लिए खाद्यान्नों के स्टॉक का संचलन प्रभावित हुआ था। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकार के गृह विभाग के दिनांक 03.04.2019 के जीओ संख्या होम (आईएसए), 2019 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन अर्थात रविवार और बुधवार को किसी नागरिक गतिविधि के बिना सुरक्षा बलों के काफिले के विशिष्ट संचलन का आदेश दिया था। इससे घाटी में एफसीआई के खाद्यान्नों के संचलन सहित आवश्यक वस्तुओं के संचलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

.....2/-

यह उल्लेख करना समीचीन है कि जम्मू और कश्मीर की मासिक आवश्यकता 62590.090 टन है तथा अप्रैल, 2019 से जून, 2019 के दौरान 2.77 लाख टन की मात्रा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लिए भेजी गई है ताकि इस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने में किसी बाधा का सामना न करना पड़े। इस आवंटन को पूरा करने में किसी चूक की सूचना भी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

जम्मू और कश्मीर में खाद्यान्नों की आमद बढ़ाने के निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में स्टॉक बढ़ाने में समर्थ हुई है और यह मई 2019 में 1.53 लाख टन से बढ़कर दिनांक 15.07.2019 की स्थिति के अनुसार 1.79 लाख टन हो गया है, जो जम्मू और कश्मीर की मासिक आवश्यकता का 2.75 गुना है। स्टॉक का यह संचय सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत पर्याप्त स्टॉक जारी किए जाने के अतिरिक्त है।

अतः प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि जम्मू और कश्मीर में अधिकतम खाद्यान्न पहुंचाए जाएं ताकि मासिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके और शीत ऋतु की शुरुआत से पूर्व पर्याप्त बफर स्टॉक बनाकर रखा जा सके।

*****